<u>न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अंजड जिला बडवानी</u> समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय

<u>आपराधिक प्रकरण क्रमांक 197/2015</u> संस्थित दिनांक—28.04.2015

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र—अंजड्, जिला बड्वानी म.प्र.<u>अभियोजन</u>

वि रू द्व

- वीरसिंह पिता ढोबड़ा भील, आयु—25 वर्ष, व्यवसाय—मजदूरी निवासी ग्राम ग्राम खरबैड़ी, थाना गंधवानी जिला धार
- खीमन पिता ठुसू भील, आयु—22 वर्ष, व्यवसाय—मजदूरी, निवासी—ग्राम खरबैड़ी, थाना गंधवानी जिला धार

.....<u>आरोपीगण</u>

 ठाकुर पिता मगरसिंह भील, निवासी ग्राम खरबैड़ी, थाना गंधवानी जिला धार

आरोपीगण फरार

4. संजु पिता भंगड़ा भील, निवासी ग्राम खरबैड़ी, थाना गंधवानी जिला धार

अभियोजन द्वारा	– श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
आरोपीगण द्वारा	– श्री बी.के. सत्संगी अधिवक्ता ।

—: <u>निर्णय</u>:— (आज दिनांक 30/10/2015 को घोषित)

- 1. अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 01.02.15 को रात्रि लगभग 12:30 बजे ग्राम मोहीपुरा पुनर्वास बसाहट ग्राम चकेरी में फरियादी किशोर के निवास स्थान जो मानव निवास के लिये उपयोग में आता है, में उसे हमला या उपहित कारित करने की तैयारी के साथ रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन कारित करने तथा वहां रखी संपत्ति रूपये 500 / —चोरी करने के लिए भा.द.सं. की धारा—458, 380 के अंतर्गत आरोप है ।
- 2. प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि फरियादी अनिल आहत ने आरोपीगण से राजीनामा किया गया है, लेकिन अशमनीय अपराध होने के कारण उक्त

राजीनामा न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है ।

- 3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01.02.15 को रात्रि लगभग 12:30 बजे किशोरिसंह अपने लड़कों सुनील, अनिल तथा पत्नी प्रेमबाई के साथ घर में सो रहा था, दुकान से खटर—पटर की आवाज आने पर उन्होंने घर का दरवाजा खोलकर दुकान के अंदर जाकर देखा तो अंदर चार व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 20—25 वर्ष के लगभग जर्कीन, स्वेटर, पेंट शर्ट पहने हुए अंदर चोरी कर रहे थे, उनमें से एक बदमाश को अनिल ने पकड़ लिया था, तो दूसरे बदमाश ने अनिल को सिर में फावड़ा मारा, जिससे अनिल को चोट आई तो उन्होंने बदमाश को छोड़ दिया और चोरी करने वाले भाग गये, उसने किराना दुकान में जाकर देखा तो दुकान में रखी नकदी धनराशि लगभग 500 रूपये नहीं मिले, जो चोरी करने वाले चुराकर ले गये, उसके लड़के अनिल का ईलाज कराने के लिये अस्पताल अंजड़ ले गये, जहां डॉक्टर ने बड़वानी रेफर किया तथा किशोरिसंह ने घटना की रिपोर्ट थाना अंजड़ में की, जहां अपराध 12/15 का दर्ज कर विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, अभियुक्तों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर उनसे उनकी सूचना के आधार पर चिल्लर 200/—रूपये की बरामद की गयी तथा साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग—पत्र न्यायालय में पेश किया।
- 4. उक्त अनुसार अभियुक्तों पर भा.द.सं. की धारा—458, 380 के आरोप लगाये जाने पर तथा भा.द.सं. की धारा—313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्तों के कथन हैं कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फॅसाया गया है । अभियुक्तों ने बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :--

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या दिनांक 01.02.15 की रात्रि लगभग 12:30 बजे फरियादी किशोरिसंह के ग्राम मोहीपुरा पुनर्वास बसाहट स्थित मकान जो कि निवास स्थान के लिये उपयोग में आता है, में उपहित या हमला कारित करने की तैयारी के साथ रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन एवं वहां रखे रूपये 500 / — की चोरी हुई थी ?
2	क्या उक्त रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार एवं चोरी अभियुक्तों द्वारा की गयी थी ?

-: साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार :-

6. अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में साक्षी किशोरसिंह (अ.सा.1), सुनील (अ.सा.2), अनिल (अ.सा.3), रामेश्वर (अ.सा.4), कैलाश (अ.सा.5), सुंदरसिंह कनेश (अ.सा.7), किशन (अ.सा.6) का परीक्षण कराया गया है ।

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 का निराकरण :-

- 7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में साक्षी किशोरिसंह (अ.सा.1) का कथन है कि दिनांक 01.02.15 को रात्रि में उसके घर पर किराना दुकान में घटना वाले दिन वह और उसके पुत्र सुनील, अनिल घर के अंदर सोये थे, तभी 4 व्यक्तियों ने उसकी किराना दुकान तोड़कर उसमें रखी 500—700/—रूपये की चिल्लर ले ली थी, वह और उसके पुत्र बाहर निकले तब बदमाशों ने उसे पकड़ लिया था और धक्का देकर नीचे गिरा दिया था, उसके पुत्र अनिल ने एक चोर को पकड़ लिया, तब उसके साथी ने बाहर पड़ा हुआ फावड़ा उठाकर अनिल के सिर पर मार दिया था, जिससे अनिल के सिर पर चोट आई थी । उसने घटना की रिपोर्ट थाना अंजड़ पर की थी, जो प्र.पी.1 की है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्र. पी.2 का बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं ।
- 8. साक्षीगण सुनील (अ.सा.2) एवं अनिल (अ.सा.3) ने भी उनके निवास स्थान में चोरी करने एवं फावड़े से अनिल को सिर में मारने के संबंध में कथन किये गये हैं तथा बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी अनिल (अ.सा.3) ने स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्तों से राजीनामा कर लिया है और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है ।
- 9. साक्षी सुरेन्द्रसिंह कनेश (अ.सा.6) ने दिनांक 01.02.15 को थाना अंजड़ में किशोरसिंह की रिपोर्ट के आधार पर 4 अज्ञात बदमाशों के विरूद्ध दुकान के अंदर घुसकर नकदी चिल्लर चुराने एवं अनिल को फावड़ा मारने के संबंध में प्र.पी.1 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी । साक्षी ने प्र.पी.1 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये हैं ।
- 10. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि फरियादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी अभियुक्त की पहचान नहीं बतायी थी ।
- 11. उक्त किसी भी साक्षी को बचाव पक्ष की ओर से यह सुझाव नहीं दिया गया कि किशोरिसंह (अ.सा.1) की दुकान में मध्य रात्रि के समय रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार उन्हें उपहित कारित करने की तैयारी के साथ और वहां रखी चिल्लर की चोरी की घटना नहीं हुई थी । ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित होता है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर मध्य रात्रि में किशोरिसंह के निवास स्थान में उसे हमला या उपहित कारित करने की तैयारी के साथ रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार एवं वहां रखी 500 / —रूपये की चिल्लर की चोरी की घटना कारित हुई थी ।

विचारणीय प्रश्न कमांक 2 का निराकरण :-

12. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में रामेश्वर (अ.सा.4), कैलाश (अ.सा.5) का कथन है कि वह उक्त अभियुक्तों को नहीं पहचानते हैं, उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है । साक्षियों ने प्र.पी.3 से प्र.पी.8 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। साक्षियों के कथन हैं कि पुलिस ने किशोर के यहां चोरी के संबंध में उक्त पंचनामों पर हस्ताक्षर करवाये थे । न्यायालय की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने इस

सुझाव से इन्कार किया है कि अभियुक्तों से पुलिस ने उनके सामने पूछताछ की थी तो उन्होंने 100–100 रूपये की चिल्लर नीम के पेंडु के नीचे से बरामद कराना बताया था। साक्षियों ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वे अभियुक्तों को बचाने के लिए असत्य कथन कर रहे हैं ।

- उक्त साक्षियों के अतिरिक्त इस विचारणीय प्रश्न के संबंध में 13. किसी अन्य साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है । ऐसी स्थिति में जबिक अभियुक्तों के मेमोरेंडम एवं जप्ती पंचनामे के साक्षियों ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है तथा स्वयं विवेचना अधिकारी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तों ने ही घटना दिनांक, समय व स्थान पर किशोरसिंह के निवास स्थान में उसे हमला या उपहति कारित करने की तैयारी के साथ रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन एवं वहां रखी 500 / - रूपये की चिल्लर की चोरी की घटना कारित हुई थी ।
- ऐसी स्थिति में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.स. की धारा-458, 380 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है ।
- अभियुक्तगण वीरसिंह पिता ढोबड़ा एवं खीमन पिता दुसु को संदेह का लाभ देते हुए भा.द.स. की धारा-458, 380 के अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जाता है ।
- अभियुक्तगण अभिरक्षा में हैं, उनका रिहाई आदेश इस टीप के साथ केन्द्रीय जेल, बड़वानी भेजा जाए कि अभियुक्तगण की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता ना हो तो, उन्हें रिहा किया जाए ।
- अभियुक्तगण वीरसिंह एवं ढोबड़ा के अभिरक्षा में रहने के संबंध में 17. द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रमाण पत्र बनाये जाये ।
- प्रकरण में दो अभियुक्त टाकुर एवं संजु अभी फरार हैं, अतः जप्त 18. संपत्ति के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है ।
- प्रकरण इस टीप के साथ अभिलेखागार में भेजा जाए कि प्रकरण में अभियुक्त ठाकुर एवं संजु फरार हैं, अतः प्रकरण को सुरक्षित रखा जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया । मेरे उदबोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड् जिला-बड्वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड्, जिला-बड्वानी, म.प्र.